14/40

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2011 को समाहरणालय के सभा कक्ष में 10:30 बजे पूर्वाहन आयोजित राजस्व समन्वयव समति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

01. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार

02. महादलित :–

महादलित परिवारों के लिए महादलित विकास योजनान्तर्गत पूर्व से सर्वेक्षित कुल 3543 परिवारों में से गैरमजरूआ आम/खास भूमि से कुल 1687 वास रहित परिवारों, 1587 परिवारों को वासगीत पर्चा के तहत साथ ही 87 परिवारों को क्रय नीति के तहत जमीन खरीद कर अच्छादित कर दिया गया है, शेष तारापुर अंचल में 03 एवं धरहरा अंचल में 48 परिवारों, को गैर मजरूआ आम भूमि साथ ही क्रयनीति के तहत जमालपुर अंचल में 13 महादलित परिवार, बरियारपुर में 10, खड़गपुर में 84 परिवारों को रैयती भूमि क्रयकर बसाने हेतु लम्बित है। संबंधित अचल अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति होने पर है। बन्दोबस्ती की कारवायी कर प्रस्ताव भेजें।

गत बैठक के अलावे पूर्व बैठक में भी सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि बचे हुए महादलित परिवारों जो पूर्व में किये गये सर्वेक्षण के क्रम में छूट गये थे, का पुनरीक्षित सर्वे कर प्रपत्र 01 एवं 02 में समर्पित नहीं किया गया।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्त्तमान माह के अन्त तक प्रपत्र 01 एवं 02 सर्वेक्षण कर दें। अन्यथा इस आशय का प्रमाण पत्र देगें की उनके क्षेतान्तर्गत कोई भी महादलित परिवार छूटा हुआ नहीं है।

03. भू–लगान :–

विभागीय निदेशानुसार भू–लगान की वसूली स्थगित है, परन्तु जिन रैयतो द्वारा स्वेच्छा से भू–लगान दिया जा रहा है, उसकी समीक्षा के क्रम में सदर अंचल में 833898/–रू0, जमालपुर में 346109/–रू0, धरहरा में 329707/–रू0, बरियारपुर में 288529/–रू0, खड़गपुर में 507985/–रू0, टेटियाबम्बर में 282176/–रू0, तारापुर में 313612/–रू0, असरगंज में 392980/–रू0 एव संग्रामपुर में 274614/–रू0 की वसूली हुई है। अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि भू–लगान की राशि कोषागार में जमाकर जिला राजस्व शाखा को संसूचित करेंगें। साथ ही प्रत्येक हल्कावार कर्मचारियों द्वारा वसूली की राशि का प्रतिवेदन देगें। भ्रमण के क्रम में ऐसी सूचना मिल रही है कि हल्का कर्मचारियों द्वारा कृषकों से भू–लगान नहीं लिया जा रहा है, जिससे उन्हें एल0 पी0 सी0 एवं किसान केडिट कार्ड नहीं मिल रहा है।

सभी अंचल अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी हल्का कर्मचारियों को निर्देशित करेगें कि इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध कारवाई की जायेगी।

04. सैरात :–

सैरात वसूली से सबंधित प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह–फरवरी, 2011 तक 1012986/–रूपये की वसूली हुयी है। सैरात के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी सैरातों का सैरातवार सूची तैयार माँग एवं वसूली प्रतिवेदन तैयार करेंगें एवं बकायदारों बन्दोवस्त धारको को वसूली की कार्रवाई करेंगें। देनदार द्वारा नहीं देने की स्थिति में उनके विरूद्ध नीलाम पत्र की कार्रवाई करेंगें।

05. दाखिल खारिज :–

विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार से राजस्व शिविर आयोजित किया जाना है समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व शिविर में दाखिल खारिज से संबंधित बहुत कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। करीव–करीव सभी अंचल अधिकारियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि सभी शिविरों में कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। इस तरह से स्पष्ट है कि शिविर के पूर्व अंचल अधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि व्यापक रूप से अपने क्षेत्रान्तर्गत लाउडस्पीकर एवं ढोल बजाकर प्रचार करायेंगें। दाखिल खारीज से संबंधित सम्पूर्ण प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह फरवरी 2011 तक कुल 8328 वादों का निष्पादन हुआ है, साथ ही जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि शिविर में प्राप्त आवेदन पत्र का पंजी संधारण करेगें एवं प्रत्येक माह में राजस्व के बैठक में पंजी के साथ भाग लेगें।

06. भूदान :–

भूदान से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टेटियाबम्बर अंचल में 13.82 एकड़, तारापुर में 26.93 एकड़ एवं असरगंज में 126.66 एकड़ जमीन वितरण हेतु लम्बित है, संबंधित अंचल अधिकारयिों को निदेशित किया गया कि भूमि का वितरण करना सुनिश्चित करेंगें।

07. सम्पर्क सड़क :–

सम्पर्क सड़क योजना के तहत यदि भू–अर्जन से संबंधित यदि मामला आता है तो प्रस्ताव बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगें। वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है। प्रतिवेदनानुसार अंचल अधिकारी सदर 01, जमालपुर 05, ह0 खड़गपुर 02 एवं संग्रामपुर अंचल में 01 सम्पर्क सड़क हेतु लंम्बित है। संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस माह के अन्त तक कार्य पूर्ण कराकर संसूचित करेंगें।

08. थाना भवन :–

टेटियाबम्बर ओ0 पी0 से संबंधित अभिलेख अंचल अधिकारी टेटियाबम्बर को त्रुटि निकारण हेतु भेजा गया था। जो विगत 1 ½ साल से लंबित है। अंचल अधिकारी टेटियाबम्बर द्वारा बताया गया कि स्कुल की जमीन है, जिला शिक्षा अधीक्षक से पत्राचार किया गया है। उन्हे निदेश दिया गया कि इससे अलग भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर भेजेंगें।

09. प्रखंड सह अंचल भवन :-

जमालपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय, टेटियाबम्बर प्रखंड सह अंचल कार्यालय, असरगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भूमि अर्जन से संबंधित अभिलेख एवं प्रस्ताव दो दिनों के अन्दर भेजने का निदेश अंचल अधिकारियों को दिया गया।

10. भू–अर्जन :-

गत बैठक में जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी मुंगेर को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्र जो उप विकास आयुक्त मुंगेर के ज्ञापांक 203, दिनांक–31.01.2011 द्वारा प्राप्त हुआ था। जिसकी छायाप्रति सभी अंचल अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई, साथ ही विभागीय निदेशानुसार उनसे प्रस्ताव की मांग की गई थी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त पत्रांक 09, दिनांक–19.02.2010 एवं भूमि अर्जन कार्यालय, मुंगेर के स्मार पत्र सं0–58/भू0 अ0, दिनांक–05.03.2010 द्वारा अंचल अधिकारी, असरगंज/तारापुर एवं संग्रामपुर से बोलबम सेवा समिति के अनुरोध पर कावरियाँ पथ में समेकित विकास हेतु निमित कान्सेप्ट प्रस्ताव की मांग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है। उन्हें पुनः निदेशित किया गया है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 210 /रा0, दिनांक 28-3-11

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी/कार्यालय मंत्री, भूदान यज्ञ कमिटि, मुंगेर/जिला भू–अर्जन पदा0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 210 /रा0, दिनांक 28-3-11

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रण्डल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सेवा में सादर सूचनार्थ।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 210 /रा0, दिनांक 28-3-11

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।